

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल-ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

F.No 234/1298/HFW/QC/2023/ 2963

दिनांक:- 15/12/2023

सेवा में,

श्रीमान उप-सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली-110054

विषय : सातवी विधानसभा का चतुर्थ सत्र (शीतकालीन सत्र-2023), माननीय विधायक श्री दुर्गेश पाठक द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 133 दिनांक 18.12.2023 के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

यह पत्र आपके पत्र सं० एफ.11(बी-1)VII/2020-25/वि.स.स./प्रश्न शा./6316 दिनांक 07.12.2023 के संदर्भ में प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया उपरोक्त के संदर्भ में इस पत्र के साथ माननीय विधायक श्री दुर्गेश पाठक द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 133 का उत्तर निर्धारित प्रारूप में (100 प्रतियां) आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

यह उत्तर मा० मंत्री महोदय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, दिल्ली सरकार के अनुमोदन से प्रेषित किया गया है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार (100 प्रतियां)

भषदीय

उप-सचिव (प्र०शा०)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
Deputy Secretary
Health & Family Welfare Deptt.
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi-02

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल-ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या : 133
दिनांक : 18.12.2023
प्रश्नकर्ता का नाम : मा0 विधायक श्री दुर्गेश पाठक
क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि मोहल्ला क्लीनिकों के लिए पोटा केबिन के आयामों और उनके आकार को लेकर बनाए गए कड़े नियमों के कारण दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिकों के निर्माण में बाधाएं आ रही हैं;	मोहल्ला क्लीनिकों के लिए पोटा केबिन के आयामों और उनके आकार को लेकर बनाए गए कड़े नियमों के कारण दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिकों के निर्माण में बाधाओं के संबंध में कोई भी शिकायत PWD या किसी विभाग से नहीं आई है।
ख	क्या यह उचित नहीं होगा कि स्थान की कमी को देखते हुए इंजीनियरों को जमीनी वास्तविकताओं के अनुरूप नियमों में कुछ लचीलापन अपनाने की अनुमति दी जाए, ताकि प्रत्येक नागरिक तक बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके; और	उपरोक्तानुसार
ग	क्या इस गंभीर समस्या के निदान हेतु कोई प्रावधान मौजूद है और इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?	उपरोक्तानुसार

उपरोक्त उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया है।

हस्ताक्षर



विभाग अध्यक्ष
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
Dr. S.B. Deepak Kumar
Secretary (H&FW)